Annex-5

## बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन ।

1. वैयक्तिक वाहनों के लिए एक मुश्त कर का दर

**वर्त्तमान प्रावधान**

सम्प्रति मोटर साईकिल, कार एवं 12 बैठान क्षमता तक के ओमनी बस आदि निजी उपयोग के वैयक्तिक वाहनों के लिए बिक्री कर रहित उनके क्रयमूल्य का 5% की दर से एक मुश्त करारोपण का प्रावधान है ।

**प्रस्तावित संशोधन**

1. वैयक्तिक वाहनों में मोटर साईकिलों पर उनके वैट रहित क्रय मूल्य का 6% की दर से एकमुश्त करारोपण ।

2. मोटर कारों को उनके मूल्य के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत कर निम्न प्रकार से एक मुश्त करारोपण करने का प्रस्ताव है:-

i. रू0 4.00 लाख तक की कार - वैट रहित क्रयमूल्य का 6%

ii. रू0 4.00 लाख से अधिक - वैट रहित क्रयमूल्य का 7%

राज्य में प्रति वर्ष निबंधित होने वाले मोटर वाहनों का 80% से अधिक हिस्सा निजी वाहनों का है । सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, ईधन बचत आदि कई आधारों पर सरकार की स्थापित नीति है कि लोक परिवहन को प्रोत्साहित तथा निजी परिवहन को हतोत्साहित करना हितकारी है । अत: निजी वाहनों पर करारोपण का दर और बढ़ाकर निजी परिवहन को हतोत्साहित करना आवश्यक है । इससे राज्य के राजस्व में भी समुचित वृद्धि होगी ।

उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधन से लगभग 24 करोड़ रूपये राजस्व वृद्धि होगी ।

2. **ट्रेड टैक्स**

ट्रेड टैक्स राज्य के अंदर व्यवसाय के क्रम में ट्रेड सर्टिफिकेटधारी वाहन निर्माता/डीलर द्वारा स्टॉक में रखे गये मोटर वाहनों की संख्या के आधार पर अधिरोपित किया जाता है ।

**वर्तमान प्रावधान**

| अनुसूची-3 | | |
|---|---|---|
| व्यापारी या निर्माता के अधीन वाहन की विवरणी | व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रथम 7 या उससे कम वाहनों पर वार्षिक कर (रू0 में) | व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रथम प्रत्येक 7 अतिरिक्त या 7 से कम अतिरिक्त वाहनों पर वार्षिक कर (रू0 में) |
| मोटर साईकिल | 600.00 | 600.00 |
| भारी वाहनों के चेसिस | 900.00 | 900.00 |
| अन्य वाहन | 750.00 | 750.00 |

**प्रस्तावित संशोधन**

| क्रम सं0 | व्यापारी या निर्माता के अधीन वाहन की विवरणी | व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन पर वार्षिक कर(रू0 में) |
|---|---|---|
| 1. | मोटर साईकिल | 150/- |
| 2. | भारी वाहनों के चेसिस | 250/- |
| 3. | अन्य वाहन | 200/- |

ट्रेड टैक्स का विगत 10 वर्षो में पुनरीक्षण नहीं हुआ है । इस अवधि में परिवहन प्रक्षेत्र का व्यवसाय लगभग चौगुना विकसित हुआ है । उक्त परिप्रेक्ष्य में ट्रेड टैक्स में वृद्वि आवश्यक है । इस प्रस्तावित संशोधन से राज्य के राजस्व में न्यूनतम लगभग 2 करोड़ रूपये की वृद्धि होगी ।

**Present Rate of Trade Tax:**

| Description of Vehicles in possession of a manufacturer or dealer | Annual tax for first 7 or less Vehicles of a manufacturer or dealer | Annual tax for each additional 7 Vehicles of a manufacturer or dealer |
|---|---|---|
| Motor Cycle | 600 | 600 |
| Chassis of Heavy Motor Vehicles | 900 | 900 |
| Other Vehicles | 750 | 750 |

**Proposed Amendments :**

New rate of trade tax to be paid by dealer or manufacturer is as follows:

| Description of Vehicles in possession of a manufacturer or dealer | Annual tax for per Vehicle (Amount in ₹) |
|---|---|
| Motor Cycle | 150 |
| Chassis of Heavy Motor Vehicles | 250 |
| Other Vehicles | 200 |

There has been no revision of trade tax during last ten years. During this period, the trade in transport sector has increased many fold. In view of this, it is proposed to enhance trade tax as given above. Total additional revenue generation on account of such increase will be to the tune of ₹ 2 Crore approx.

## Amendments in Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994

**Present Rate**

1. **One time tax (OTT) for Personalised Vehicles**

One time tax at the rate of 5% of sale price of vehicles excluding sales tax is levied an Motorcycles, Motor Cars and Omni buses up to seating capacity of 12 used for personal purpose.

**Proposed Amendments** :

One time tax shall be levied as follows :

| | |
|---|---|
| **1.** Motorcycle (Two wheeler) | @ 6% of cost of vehicle excluding VAT |
| **2. Cars** | |
| **i. Costing up to ₹ 4.00 lac** | @ 6% of cost of vehicle excluding VAT |
| **ii. Costing more than ₹4.00 lac** | @ 7% of cost of vehicle excluding VAT |

Every year more than 80% registered vehicles in the State are personalised vehicles. Increasing number of personalised vehicles cause traffic jam, pollution, damage to roads etc. Therefore, it is necessary to discourage the use of personalised vehicles and to encourage use of public transport by enhancing the tax rate on personalised vehicles. This increase in tax will result in additional revenue generation to the tune of ₹ 24 Crore approx.

**2- Trade Tax**

Trade tax is paid by a manufacturer of vehicle or a dealer in motor vehicles in respect of the motor vehicles in his possession in the course of his business. Such manufacturer or dealer is granted trade certificate under the Central Motor Vehicles Rules, 1989.